20.8.2019

प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। अतिक्रमित भूमि से कब्ज़ा छोडने बाबत् शपथ पत्र पेश किया जाने का निवेदन किया गया हैं। बहस में दी गई सिविल कारावास की सजा स्थगित करने का निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैनें दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया तो पाया की मौके पर से अतिक्रमी ने कब्जा छोडने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाने का निवेदन किया जाने से मूल अपील में आज निर्णय पारित होकर रिमांड किये जाने की आदेश दिये गये हैं अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner